

संख्या: 03/06/2017- लो.ना.ज.ना. रा.अ.वि.वि.सं.

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान
इन्स्टीट्यूशनल एरिया, बाहरी रिंग रोड़, सैक्टर - 3, रोहिणी, दिल्ली- 110085

दिनांक - जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

03 JAN 2020

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय) दिल्ली- 110085 में निम्न पदों को भरने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित हैं। पात्रता मानदंड का विवरण प्रत्येक पद के सामने दर्शाया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम व वेतनमान	पदों की संख्या	भर्ती की पद्धति	पात्रता की शर्तें
1.	आशुलिपिक ग्रेड-1 वेतन लेवल: 6 वेतन मैट्रिक्स रुपये 35400 - 112400/- [वेतन बैंड: 2 ग्रेड-वेतन रुपये 4200/- (पूर्व संशोधित)]	01	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण किये हुए वे अधिकारी जो : - (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुये हैं , या (ii) जिन्होंने वेतन लेवल: 4 वेतन मैट्रिक्स रुपये 25500/- - 81100/- [वेतन बैंड:2 ग्रेड-वेतन रुपये 2400/- (पूर्व संशोधित)] या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो । (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं रखते हों : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10वीं या समतुल्य परीक्षा पास की हो । (ii) हिंदी या अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने में प्रवीणता । टिप्पणी-1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे ।


03/01/2020

2.	आशुलिपिक ग्रेड-II वेतन लेवल: 4 वेतन मैट्रिक्स रुपये 25500/- - 81100/- [वेतन बैंड:2 ग्रेड-वेतन रुपये 2400/- (पूर्व संशोधित)]	02	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के अधीनएसे अधिकारी जो :- (क) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हों और निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं रखते हों : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं या समतुल्य परीक्षा पास की हो । (ii) हिंदी या अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने में प्रवीणता ।
3.	क्राइम सीन सहायक वेतन लेवल: 3 वेतन मैट्रिक्स रुपये 21700 - 69100/- [वेतन बैंड:1 ग्रेड-वेतन रुपये 2000/- (पूर्व संशोधित)]	10	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र के वे पुलिस अधिकारी जो : (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुये हैं , या (ii) जिन्होंने वेतन लेवल-2 वेतन मैट्रिक्स रूपये 19900-63200/- अथवा समतुल्य वेतनमान में अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो । और (ख) जो निम्न शैक्षणिक अहर्ताएं एवं अनुभव रखते हों: अनिवार्य: (i) मुख्य विषय भौतिकी, रसायन एवं गणित/जीव-विज्ञान सहित 12वीं की परीक्षा पास की हो । (ii) पुलिस स्टेशन में अपराध जांच/मामलों में सहायता करने का कम से कम तीन साल का अनुभव ।

नोट-1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य वाह्य-काडर पर प्रतिनियुक्ति सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो ।

नोट-2: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से (उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित



05/10/2020

वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित समरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतन के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह वेतन केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

नोट-3: उच्चतर वेतन आहरित कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं परंतु उनके वेतन का विनियमन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का0जा0 संख्या 16/4/2012-वेतन.1 दिनांक 05 नवंबर 2012 के अनुसार किया जाएगा।

2. क्रमांक 01 व 02 के लिए चयनित अधिकारियों का वेतन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-11) के अनुसार विनियमित किया जाएगा। किन्तु क्रमांक 03 के लिए चयनित अधिकारियों का वेतन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक 27 दिसम्बर, 1993 कार्यालय ज्ञापन संख्या 13024/2/1990-प्रशि. के अनुसार विनियमित किया जाएगा, तथापि, उन्हें कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के दिनांक 05 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13024/1/2008-प्रशिक्षण-1 के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते के स्थान पर उनके द्वारा अपने मूल विभाग में प्राप्त किए जा रहे मूल वेतन के 24% की दर से प्रशिक्षण भत्ता आहरित करने की अनुमति होगी। उन्हें प्रशिक्षण भत्ते के स्थान पर संबंधित पद का वेतन आहरित करने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. उपर्युक्त पद हेतु स्वैच्छिक व्यक्तियों को चयन होने के बाद नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। वांछित बायो-डाटा और गोपनीय रिपोर्ट डोजियर के बिना संस्तुतित उम्मीदवारों के नामों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. पात्रता रखने वाले इच्छुक और उपयुक्त व्यक्तियों के आवेदन पत्र, जिन्हें चयन किये जाने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके "रोजगार समाचार" में इस ज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के 60 दिनों के भीतर, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि-विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), आउटर रिंगरोड, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली- 110085 को अनुलग्नक-1 बायो-डाटा (दो प्रतियाँ में) एवं आवेदक को पिछले दस वर्षों में आवेदक को कोई मुख्य/लघु दण्ड दिया गया है तो उसकी विजिलेंस क्लीयरेंस एवं पिछले पाँच वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट की अनुप्रमाणित फोटोप्रतियाँ सहित अग्रेषित करें।

कृपया हमारी वेबसाइट www.nicfs.gov.in का अवलोकन करें।


(मुकेश कुमार)


प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :

1. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालय/विभाग।

2. सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
3. सभी निदेशक, केन्द्र/राज्यों की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं ।
4. सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन ।
5. सभी अर्ध-सरकारी संगठन ।
6. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ।
7. सभी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संगठन ।
8. संपादक (विज्ञापन), रोजगार समाचार, 07वॉ तल, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 रोजगार समाचार में यथाशीघ्र प्रकाशनार्थ । उनसे अनुरोध है कि प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम संख्या में उम्मीदवार आकर्षित करने के लिए "रोजगार समाचार" में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए । जिस "रोजगार समाचार" अंक में उक्त रिक्ति-परिपत्र को प्रकाशित किया जाए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को रिकॉर्ड हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ।

अनुलग्नक : यथोपरि ।



(मुकेश कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी

बायो - डाटा/जीवन-वृत्त
आवेदित पद का नाम :

1. नाम एवं पता
2. जन्म तिथि (इसवीं में)
3. (i) सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि
(ii) केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि
4. शैक्षणिक अर्हता
5. क्या उपरोक्त पद के लिए मांगी गई आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं?
(योग्यता जिसे निर्धारित नियमों के अनुसार बराबर माना गया है, यदि कोई हो)

विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लेख के अनुसार आवश्यक योग्यता/अनुभव	अधिकारी की योग्यता/अनुभव
अनिवार्य : (क) शैक्षिक योग्यता (ख) अनुभव वांछनीय : (क) शैक्षिक योग्यता (ख) अनुभव	अनिवार्य : (क) शैक्षिक योग्यता (ख) अनुभव वांछनीय : (क) शैक्षिक योग्यता (ख) अनुभव

6. ऊपर दी गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए कृपया स्पष्ट करें कि क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं एवं कार्य अनुभव को पूरा करते हैं ?
7. पिछली नियुक्तियों का कालक्रम से ब्यौरा : (स्थान कम होने पर अलग से हस्ताक्षरित शीट संलग्न करें)

कार्यालय/संस्थान/संगठन	नियमित पद का नाम	से	तक	* नियमित पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल [वेतन बैंड + वेतन ग्रेड (पूर्व संशोधित)]	इयूटी की प्रकृति (विस्तार से) आवेदन किए गये पद के लिए जरूरी अनुभव को स्पष्ट रूप से लिखें

आवश्यक: ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिया गया वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल [वेतन बैंड + वेतन ग्रेड (पूर्व संशोधित)] अधिकारी के व्यक्तिगत होते हैं अतः इन्हें ना दर्शायें । केवल नियमित पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल [वेतन बैंड + वेतन ग्रेड (पूर्व संशोधित)] को ही दर्शायें । यदि वर्तमान के वेतन

(Handwritten signature)
01/11/2020

मैट्रिक्स [वेतन लेवल + वेतन बैंड (पूर्व संशोधित)] के साथ ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. जैसे लाभ आवेदक द्वारा आहरित किये गये हैं तो उन्हें निम्नानुसार दर्शायें ।

कार्यालय/ संस्थान/ संगठन	ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के तहत आहरित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल [वेतन बैंड + वेतन ग्रेड (पूर्व संशोधित)]	से	तक

8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति, अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्ध-स्थायी अथवा स्थायी ।

9. वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो इस स्थिति में स्पष्ट करें कि:

(क) प्रथम नियुक्ति की तिथि	(ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की नियुक्ति का समय	(ग) आवेदक के मूल कार्यालय/विभाग का नाम	(घ) मूल संगठन में धारित पद का नाम एवं वेतन

10. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्ति आधार पर कोई पद धारण किया हो तो उससे वापसी की तिथि एवं अन्य सूचना ।

11. वर्तमान रोजगार के बारे में अन्य सूचनाएं । कृपया बतायें कि किसके अधीन कार्यरत हैं :

- (क) केन्द्र सरकार
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) स्वायत्त संगठन
- (घ) सरकारी उपक्रम
- (ड.) विश्व-विद्यालय
- (च) अन्य

12. कृपया बतायें क्या आप इसी विभाग में कार्यरत हैं और पोषक श्रेणी या पोषक से पोषक श्रेणी में हैं ।

13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं । यदि हाँ तो संशोधन की तिथि बताएं तथा पूर्व संशोधित वेतनमान को भी अंकित करें ।

14. वर्तमान में कुल आहरित मासिक पारिश्रमिक

वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल [वेतन बैंड + वेतन ग्रेड (पूर्व संशोधित)]	कुल पारिश्रमिक


03/01/2020

15. यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन से संबंध रखता हो जहां केन्द्र सरकार के वेतनमान का अनुसरण न किया जाता हो तो इस प्रकार के मामले में उस संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन-पर्ची प्रस्तुत करें जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाया गया हो:

वेतनमान सहित मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर	महंगाई वेतन/अंतरिम छूट/अन्य भत्ते आदि (ब्रेक-अप के विवरण सहित)	कुल पारिश्रमिक

16. (क) जिस पद के लिए आवेदन दिया गया है उसके संबंध/समर्थन में अन्य सूचना, यदि कोई हो। (इसके अंतर्गत (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यतायें (II) व्यवसायिक प्रशिक्षण और (III) उपरोक्त रिक्त पदों के परिपत्र/विज्ञापन में मांगे गये कार्य अनुभव के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं दर्शायें)

नोट : स्थान कम होने पर अलग से हस्ताक्षरित शीट संलग्न करें।

16. (ख) उपलब्धियां

आवेदकों से अनुरोध है कि वे निम्न के संबंध में सूचनाएं दें:

- (I) अनुसंधान प्रकाशन एवं रिपोर्ट और विशेष परियोजना -----
 (II) अवार्ड/स्कोलरशिप/सरकारी सराहना -----
 (III) व्यावसायिक मंडल/संगठन/सोसाइटी आदि से संबद्धीकरण -----
 (IV) आवेदक एकस्व अधिकार या उसके द्वारा संगठन के लिए प्राप्त उपलब्धियां-----
 (V) अन्य अनुसंधान/सरकारी मान्यता प्राप्त कोई नवप्रवर्तनशील उपाय -----
 (VI) कोई अन्य सूचना -----

(नोट: स्थान कम होने पर अलग से हस्ताक्षरित शीट संलग्न करें)

17. कृपया बतायें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन/पुनर्नियोजन के आधार पर आवेदन कर रहे हैं। (केवल केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी ही आमेलन के तथा गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारी केवल अल्पकालिक अनुबंध के योग्य/पात्र होंगे)
 (अल्पकालिक अनुबंध/आमेलन/पुनर्नियोजन का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा यदि रिक्ति संबंधी परिपत्र/विज्ञापन में अल्पकालिक अनुबंध या आमेलन या पुनर्नियोजन का उल्लेख किया गया हो)

18. क्या आप अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं ?

मैंने, उपरोक्त पद के लिए दिये गये परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा यह भी भली-भांति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया आत्मवृत विवरण तथा अनिवार्य योग्यता/कार्य अनुभव का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा पद के चयन के समय किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना/विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है, कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरे चयन को रोके, नहीं छुपाया है।

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पता :

दूरभाष :

इमेल :



नियोक्ता/केंडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए


उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई सूचना/विवरण सत्य तथा सही हैं। आवेदक की शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रिक्ति परिपत्र के अनुसार हैं, यदि आवेदक का चुनाव हो जाता है तो उसे तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (I) श्री/श्रीमती ----- के खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक प्रकरण लंबित नहीं है।
- (II) इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- (III) भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित पिछले 05 वर्ष की मूल गोपनीय रिपोर्ट/फोटोकॉपी संलग्न है।
- (IV) पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर कोई बड़ा/मामूली दंड नहीं लगाया गया है, या पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर लगाए गए बड़े/मामूली दंडों की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/केंडर नियंत्रण प्राधिकारी मोहर सहित)


03/01/2020